की आबादी भूमि पर
के लिये ख0नं0 3964 व 1693 में

318 वर्गमीटर, भूमि को
दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.04.19 17:54:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

1. [illegible] जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिये **वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते की बहुत आवश्यकता है।** खातेदारी भूमि पर जाने के लिये ख0नं0 3964 व 1599 में दक्षिणी मेड़ के सहारे 3 मीटर चौड़ाई का **रास्ता न्यूनतम दूरी पर पड़ता है।**
3. यह है कि ग्राम भगवतगढ़ के ख0नं0 3964 में 66X3=198 वर्ग मीटर व ख0नं0 1599 में 40X3=120 वर्ग मीटर अर्थात 318 वर्ग मीटर की डी.एल.सी. दर 829534 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 26380 रूपये की दुगुनी राशि 52760 रूपये बनती है। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की प्रति संलग्न है। अतः उक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट प्रेषित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। **रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है।** एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1596 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर आने–जाने हेतु इससे लगता हुआ खसरा नंबर ख0नं0 3964 में 66X3=198 वर्ग मीटर व ख0नं0 1599 में 40X3=120 वर्ग मीटर अर्थात कुल 318 वर्ग मीटर की डी.एल.सी. दर 829534 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 26380 रूपये की दुगुनी राशि 52760 /–रूपये राशि ख0नं0 3964 एवं ख0नं0 1599 के खातेदारान को उनके हिस्से [illegible] दिलवाई जाकर खसरा नंबर 3964 [illegible] 1599 [illegible] दक्षिणी मेड़ के सहारे [illegible] मीटर चौड़ा तथा [illegible] मीटर लम्बाई का कुल [illegible] नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.04.19 17:54:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)